



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना गिरवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 24.10.2025 की रात्रि थाना गिरवां पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान

एक युवक बांदा धर्मकांटा ग्राम स्योढ़ा के पास संदिग्ध रूप से दिखाई दिया पुलिस द्वारा तत्काल युवक को रोककर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राममूरत पुत्र बहू निवासी स्योढ़ा थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 333/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री गौरव कुमार मिश्रा
2. कां0 संजय कुमार
3. कां0 शमशेर बहादुर